न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 664/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

जरनैल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गुरदेव सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. रानीकौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख सा. गणेशगढ (श्रीगंगानगर)
3. सुरेन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख सा. जोडकियां (हनुमानगढ)
4. सुरजीत कौर पत्नी जरनैल सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित — 1. श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट (वादी)
2. श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 4)

निर्णय दिनांकः—18.01.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी के पिता अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 19 एएमपी खाता सख्या 32/92 व 33/32 में कुल 1.315 है0 भूमि तथा चक नम्बर 20 एएमपी खाता संख्या 18/16 में 3.036 है0 तथा खाता संख्या 19/41 में 0.218 है0 कुल 3.254 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में है उक्त जमाबन्दीया सलग्न वाद पत्र के है। पहरा संख्या 3 में वर्णित हमारी भूमि विरास्तन एवं जददी जायदाद है तथा कुछ विरास्तन आय से खरीद भूमि होने से विरास्तन है उक्त कुल भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 का जन्मजात 3/4 हिस्सा का हक बनता है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने अपने अपने विरास्तन हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती। उन्होने अपने अपने हिस्से की भूमि वादी के पक्ष में छोड दी है। अतः वादी अपना जन्मजात हिस्सा व बहिनों से प्राप्त हिस्सा जरिए घोषणा पाने का मुस्तहक एवं दावेदार है। दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी सख्या 1 गुरदेव सिंह को चक नम्बर 19 एएमपी खाता संख्या 32/92 व 33/32 में कुल 1.315 है0 भूमि प्राप्त हुई है तथा वादी को चक नम्बर 20 एएमपी खाता संख्या 18/16 में 3.036 है0 तथा खाता संख्या 19/41 में 0.218 है0 कुल 3.254 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है, जिस पर वादी की

ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादी घरू विभाजन में मिली भूमि को राजस्व अभिलेख में अपने नाम कराने का मुष्तहक एवं दावेदार है। इसी अमर की वादी घोषणात्मक डिकरी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा में उक्त वर्णित घरू विभाजन व वादी के जन्मजात हिस्सा को राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के वादी के नाम दर्ज कराने से इंकार कर दिया जो वाद का कारण है। प्रतिवादी संख्या 5 को भूधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ कोई सापेक्ष अनुतोष नहीं चाहा है। दावा बाबत इस्तकार हक का है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी अपने पिता गुरदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम दर्ज भूमि तहसील संगरिया के चक 20 एएमपी खाता संख्या 18/16 में 3.036 है0 तथा खाता संख्या 19/41 में कुल 0.218 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है, इसी प्रकार उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई जाकर प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश फरमाया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रति.सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 19 एएमपी खाता सं. 32/92 व खाता संख्या 33/32 एवं चक 20 एएमपी खाता संख्या 19/41 व खाता संख्या 18/16 की जमाबंदी प्रदर्श 1 ता 4 करवाई गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 20 एएमपी खाता संख्या 18/16 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 3.036 हैक्ट. एवं चक 20 एएमपी खाता संख्या 19/41 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 0.218 हैक्ट. कृषि भूमि गुरदेव सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 19 व 20 एएमपी की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 1 ता 4 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 गुरेदव सिह के पुत्र व पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र वधु है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 3 ता 4 मे प्रतिवादी संख्या 1 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नाम है जो प्रदर्श 1 ता 4 से पैतृक साबित है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने हाजिर आकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी जरनैल सिह को चक 20 एएमपी के खाता संख्या 18/16 में 1.265 है. व इसी चक के खाता संख्या 19/41 में 0.218 है. एवं प्रतिवादी संख्या 4 सुरजीत कौर को चक 20 एएमपी के खाता संख्या 18/16 में 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिह का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 664/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

जरनैल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गुरदेव सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2 रानीकौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख साकिन गणेशगढ (श्रीगंगानगर)
3 सुरेन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख सा. जोडकियां (हनुमानगढ)
4 सुरजीत कौर पत्नी जरनैल सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 4 श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :– वादी जरनैल सिह को चक 20 एएमपी के खाता संख्या 18/16 में 1.265 है. व इसी चक के खाता संख्या 19/41 में 0.218 है. एवं प्रतिवादी संख्या 4 सुरजीत कौर को चक 20 एएमपी के खाता संख्या 18/16 में 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिह का नाम कलमजन किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल.....×.....

खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....×..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.01.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official